

राष्ट्रीय लोक अदालत तृतीय, केंम्प लोहावट

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

साइने खां बनाम तहसीलदार वगैरा

अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 13/2025 Gcms No. 2025/59	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण में पैरोकार अभिभाषक उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री राजुराम चौधरी। अप्रार्थीगण संख्यां (01)की ओर से :- राज-पैरोकार। अप्रार्थी की ओर से :- स्वयं उपस्थित।</p> <p align="center">-: निर्णय :-</p> <p align="right">दिनांक :-13/09/2025</p> <p>प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बेदु कल्ला के खसरा नम्बर 5/1 रकबा 8.9435 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्यां 02 की संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम साईंखां पुत्र मीरखां के नाम भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की भूमि के अलावा अन्य सभी कागजातों में नाम साइने खां दर्ज हैं। तथा जमीन में नाम साईंखां गलत दर्ज होने पर पक्षकार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। और नाम को लेकर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए राजस्व जमाबन्दी में नाम सही एवं दुरुस्त करवाने हेतु हल्का पटवारी व भुअभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि वास्तविक नाम के मुताबिक जमाबन्दी में साइने खां दर्ज करना भुअभिलेख अधिकारी का दायित्व हैं परन्तु इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी।</p> <p>हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार की तरफ से जबाब के साथ रिकार्ड जांच रिपोर्ट एवं मियुटेशन की प्रति प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में बताया की नामान्तकरण संख्यां 39 में प्रार्थी खातेदार भूमि में दर्ज हुआ। स्वभाविक मानवीय सदभाविक भुल से में जमाबन्दी में साईंखां दर्ज हो कर गलत प्रविष्टि हुई हैं।</p> <p>वर्तमान चालु जमाबन्दी में साईंखां दर्ज हैं तथा तहसीलदार जांच रिपोर्ट अनुसार साईंखां के स्थान पर साइने खां सही नाम दर्ज किया जाना व सह-खातेदारान् ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कर उचित बताया है। तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का नाम साईंखां से साइने खां किया जाना है तथा जांच रिपोर्ट के तहत साईंखां के स्थान पर साइने खां किये जाने योग्य बताया है। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की अन्तिम बहस सुनी गयी।</p>	




अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैरान को दौहराते हुए जांच रिपोर्ट का समर्थन किया और बताया कि साईंखां से साइने खां कर सही किया जावे और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।


उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा नामान्तरण व जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार नाम परिवर्तन किया जाना है। ओर प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बेदु कल्ला के खसरा नम्बर 5/1 की जमीन में प्रार्थी का नाम साईंखां सद्भाविक भुल के कारण गलत प्रविष्टि हो गयी। तथा उक्त खसरे की जमीन में साईंखां के स्थान पर साइने खां दर्ज सही कर करने की मौका फर्द पर सह-खातेदार ने हस्ताक्षर कर ईकबालिया जबाब एवं प्रार्थी के आधार कार्ड अनुसार भुमि में नाम परिवर्तित कर सही किया जाना है तथा उक्त सभी दस्तावेजी रिपोर्टों के अनुसार प्रार्थी का नाम साईंखां के स्थान पर साइने खां दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। कि तहसीलदार बापिणी तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में साइने खां दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर न्यायालय विनिश्चय की पालना सुनिश्चित करे। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/09/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
केम्प लोहावट एवं एस.डी.एम. देचू,
जिला फलोदी